ई-मेल: dghealth.uttarakhand@gmail.com, statepcpndtuk@gmail.com

पत्रांक: 8प/रा०का०/प०क०/पी०एन०डी०टी०/06/2019/17739 दिनांक:21 नवम्बर, 2020

सेवा में,

निदेशक उधोग,
उधोग निदेशालय उत्तराखण्ड
पटेल नगर देहरादून।

विषय– **उत्तराखण्ड राज्य में एकल खिडकी सुघमता के उद्धेश्य से पी०सी०पी०एन०डी०टी० एक्ट के अन्तर्गत आवेदको को ऑन–लाइन सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भण– **निदेशक, उधोग निदेशालय के पत्र संख्या– 2522 / दिनांक 16.10. 2020**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत् करना है कि गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 (समय–समय पर यथासंशोधित) भारत सरकार की संसद द्वारा पारित किया गया है, जिसको सम्पूर्ण भारतवर्ष में लागू किया गया है, अधिनियम 1994 के अन्तर्गत नियम बनाये जाने की शक्तियां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में निहित है, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित राजपत्र प्रकाशित किये जाते है, उत्तराखण्ड राज्य भी पूर्ण मनोबल के साथ उक्त अधिनियम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन/पालन कराये जाने हेतु प्रतिबद्ध है।

उत्तराखण्ड राज्य में उधम एकल खिडकी सुगमता District level Business Reform Action Plan (DLBRAP) के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाओं में पी०सी०पी०एन०डी०टी० एक्ट का पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदनकर्ताओं के लिये ऑनलाइन व्यवस्था विकसित किये जाने हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है, उधम एकल खिडकी सुगमता की व्यवस्था हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का वित्तीय भार वहन नही किया जायेगा। एवं ऑन–लाईन व्यवस्था में आवेदको को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में समय सीमा का निर्धारण अधिनियम 1994 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार ही किया जायेगा।

अतः आप उपरोक्त कार्य संचालित किये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग/ऐजेन्सी को स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करने हेतु तत्काल निर्देशित करने का कष्ट करेगें, ताकि इस स्तर से अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

Saithani

अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी
(पी०सी०पी०एन०डी०टी०)

पत्रांक: 8प/रा०का०/प०क०/पी०एन०डी०टी०/06/2019/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उधोग विभाग उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून।
4. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी/जिलासमुचित प्राधिकारी (पी०सी०पी०एन०डी०टी०) उत्तराखण्ड।

अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी